मंडल आयोग के आधार पर आरक्षण और लाभ

4290. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय और मंडल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1993 से आरक्षण लाभ दिये जाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का विचार रखती है, जैसी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी जा रही है ,

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है :

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सरकार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट के मुकाबले अन्य पिछड़े वर्गों को 3 वर्षों की छूट प्रदान की है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना ।

4291. **श्री एम. एस. सुरजेवाला :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम के कर्मचारियों को 1994 में बोनस दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में की गई है । बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32, उपधारा 5 (ग) के अनुसार लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित संस्थानों को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्मचारियों को बोनस के भुगतान में छूट दी गई है ।

Private Coaching for Competitive Examinations

4292. DR. SANJAYA SINH:
SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow private coaching for the wards of persons belonging to O.B Cs. for Competitive Examination conducted by the Central/State Government, as is being done in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes children;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) Government of India since 1992-93, is already implementing a Scheme of Pre-examination Coaching for